

उप राष्ट्रपति

- उपराष्ट्रपति को एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से परोक्ष रूप से चुना जाता है।
- राज्य विधानसभाएँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती हैं।
- उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं (अनुच्छेद 66(1)).

भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति को होना चाहिए:

- भारत का नागरिक।
- 35 वर्ष से अधिक आयु।
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ या राज्य के मंत्री के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 66).
- यदि विधानमंडल के सदस्य को उपराष्ट्रपति चुना जाता है, तो उसे सदन में अपनी सीट खाली करनी होगी, जो कि उसके अंतर्गत आती है।
- उपराष्ट्रपति का पद उस तिथि से पाँच वर्ष का होता है जिस दिन वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। उपराष्ट्रपति का पद निश्चित कार्यकाल से पहले इस्तीफा देकर या निष्कासन से समाप्त हो सकता है।
- उपराष्ट्रपति को उसके अधिकांश सदस्यों द्वारा पारित राज्य सभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की जाती है (सन्दर्भ.: अनुच्छेद 67).
- एक मौजूदा उपराष्ट्रपति फिर से चुनाव के लिए योग्य है। डॉ. एस राधाकृष्णन 1957 में दूसरी बार भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए।
- उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। यदि राष्ट्रपति के कार्यालय में कोई रिक्ति आती है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए और अपने कार्यालय में प्रवेश कर जाए (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 65(1)).
- जून 1960 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद की सोवियत संघ की 15-दिवसीय यात्रा के दौरान, तत्कालीन राष्ट्रपति, डॉ. एस राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, ताकि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में समर्थता जता सकें।
- यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन आदि के कारण खाली हो जाते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।
- 1969 में जब राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन का निधन हुआ और उपराष्ट्रपति श्री वी. वी. गिरी ने इस्तीफा दे दिया, तो मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
- जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसे राष्ट्रपति के पद प्राप्त होते हैं; अन्यथा, उन्हें राज्य सभा के अध्यक्ष का वेतन मिलता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो राज्यसभा का उप सभापति उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है (अनुच्छेद. 91).
- राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों का निर्धारण अनुच्छेद 71 में वर्णित है।

TEST SERIES

Bilingual



KVS PRT
30 TOTAL TESTS

Validity : 12 Months

मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

- ऐसे विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए जाते हैं जिनका क्षेत्राधिकार अनन्य और अंतिम है।
- निर्वाचक मंडल में किसी भी रिक्ति के आधार पर ऐसा कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता है।
- यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय की तारीख से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं हैं।
- ऐसे विवादों के निर्णय के अलावा, मामले संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनियमित होते हैं।

भारत के उप-राष्ट्रपति:

Sl.	नाम	अवधि
1.	डॉ. एस राधाकृष्णन	1952 - 1962
2.	डॉ. जाकिर हुसैन	1962 - 1967
3.	वी. वी. गिरी	1967 - 1969
4.	गोपाल स्वरूप पाठक	1969 - 1974
5.	बी डी जट्टी	1974 - 1979
6.	न्यायमूर्ति मो. हिदायतुल्लाह	1979 - 1984
7.	आर वेंकटरमन	1984 - 1987
8.	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	1987 - 1992
9.	के.आर. नारायणन	1992 - 1997
10.	कृष्णकान्त	1997 - 2002
11.	भैरों सिंह शेखावत	2002 - 10.08.2007
12.	मो. हामिद अंसारी	11.08.2007 - 11.08.2017
13.	एम. वेंकैया नायडू	11.08.2017

TEST SERIES

Bilingual



DSSSB PGT
Tier-I (Section A)

10 PRACTICE SETS

TEST SERIES

Bilingual



UP B.Ed JEE
Online Test Series
(SCIENCE STREAM)

5 Full Length Mocks

TEST SERIES

Bilingual



CG TET
PAPER II
(MATHS & SCIENCE)

5 Full Length Mocks